S.R.

दक्षिण रेलवे/SOUTHERN RAILWAY

मण्डल कार्यालय/Divisional Office,
कार्मिक शाखा/Personnel Branch,
पालक्काड/Palghat

No.J/P.555/DHC/2020 दिनांक/Date 19.03.2020

ज्ञापन/ MEMORANDUM

विषय : सामान्य पूल में कर्मचारी क्वार्टर का नया आंबटन/बदलाव

Sub: - Change/Fresh allotment of staff quarters in General Pool

=====X-X-X-X=====

सामान्य पूल/पालक्काड में कर्मचारी क्वार्टर के नए आंबटन/बदलाव के लिए कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अनुरोध पर विचार किया गया और सहमति दी गई ।

The request of the under mentioned employees for change& fresh allotment of quarters in General Pool/PGT has been considered and allotted as under:-

(1) Change of Type- II Quarters

Sl.No.	Name S/Sri/Smt.	Designation/Stn	Present Quarters	Change over
1	A.Shajahan	Pointsman/PDGM	261/A	197/B

(2)Fresh allotment of Type- II Quarters

Sl.No.	Name S/Sri/Smt.	Designation/Stn	Qrs.No
1	K.Ratheesh Kumar	Sr.Clerk,DSC/RPO/O/PGT	630/B
2	Bindhya C	Jr.Clerk,DMM/O/PGT	272/A

रेलवे कर्मचारी को आबंटित रेलवे आवास उनके अपने/उनकी अपनी उपयोग के लिए है और आवास के सिवाए किसी भी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता । इसका उल्लंघन करने पर आवास आबंटन के रद्दकरण के साथ-साथ उनके विरुद्ध रेलवे कर्मी(अ व अ) नियम के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई भी शुरू किया जाएगा ।

Railway accommodation allotted to a Railway employee is meant for his/her bonafide use and cannot be used for any other purpose other than residence. Any violation in this respect would result in cancellation of allotment of the accommodation besides initiating of disciplinary action under Railway Servants (D&A) Rules.

अदला-बदली/नव आबंटन को चाहिए कि वे ज्ञापन की तारीख से 30 दिन के अंदर क्वार्टर का अधिग्रहण करें, चूकने पर यही माना जाएगा कि वे अदला-बदली/नव आबंटन के लिए इच्छुक नहीं है और बिना कोई सूचना के आबंटन को रद्द किया जाएगा । उनके/उनकी नाम भविष्य में कोई अदला-बदली/नव आबंटन के लिए विचार नहीं किया जाएगा ।

-2-

SR

S.R.

The change/Fresh allottee should occupy the Quarters within 30 days from the date of this memorandum failing which it will be deemed that they are not willing for change/fresh allotment of quarters and the allotment will be cancelled without any notice. Their names will not be considered in future for change/fresh allotment.

कृपया यह नोट कर लें कि मुकाधि/चेन्नै पत्र सं.पी(डब्ल्यू)555/हाउसिंग कमिटि/पोलिसी दि.20.7.2004 के आधार पर अधिग्रहण की तारीख से या इस ज्ञापन की तारीख से 30 दिन की समाप्ति पर, जो भी पहला हो, मकान किराया भत्ता को रोकने के साथ-साथ किराया भी वसूल किया जाएगा।

(R.Krishnan)
APO/E/PGT
कृतेवमंकाधि/पालक्काड/for Sr.DPO/PGT

प्रति/Copy to:- Sr.DFM/PGT, Sr.DEN/Co-ord/PGT, Sr.DOM/PGT, SDMM/PGT
DSC/PGT,ADEN/PGT,SSE/W/Colony/PGT,SS/PDGM,
Ch.OS/Security/O/PGT,Ch.OS/DMM/O/PGTSSE/Elec/P/PGT,
Ch.OS/Bills- I & II,
DS/SRMU, DS/AISC&STREA & DS/AIOBCREA/PGT Divn
Employee through